# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 18/2021

उनवान

1. नौसर पत्नी रामलाल
2. गणेश पुत्र रामलाल समस्त जाति रायका निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. गजरी पुत्री थाना
2. जेती पत्नी थाना
3. देवी
4. बाली पि. थाना
5. सांवरा पुत्र आपू
6. सीताराम पुत्र थाना
7. हनुमान पुत्र थाना
8. गायड पुत्र जुझार (मृतक) जरियें वारिसान

8/1. लाडा पत्नी गायड
8/2. लक्ष्मण पुत्र गायड
8/3. राणा पुत्र गायड समस्त जाति रेबारी निवासी ग्राम बाघुसरी, नसीराबाद

9. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2, 3 व 8 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

—: आदेश :— दिनांक :— 20.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 84 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी वर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 38, 35 व 41 का उपयोग करते है, जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थीगण को उत आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 27.09.2000 को ग्राम के मौतबिरान व्यक्तियों ने उक्त भूमि पर आवागमन हेतु वाद विवाद होने पर एक राजीनामा लिखवाया था जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 36 में से होकर प्रार्थीगण व उसके परिवारजन को 20 फिट चौडा व 136 फिट लम्बा रास्ता दिलवाया गया उक्त रास्ता आज भी मोके पर विधमान है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि को खराब करने की नियत से 30 फिट चौडा रास्ता चाहा है जबकि भूमि हेतु 30 फिट का रास्ता आवश्यक नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:10 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी का सबसे लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 34, 35, 45, 46 में से है। अप्रार्थी के खसरा नम्बर 35 व 36 के बाद प्रार्थी के परिवारजन की भूमि है। जिस पर आज दिनांक तक रास्ता बना हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 प्रार्थीगण की व हाल खसरा नम्बर 38, 35 व 41 अप्रार्थीगण की खातेदारी का है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 84 पर आवागमन हेतु कोई भी लघुतम/दीर्घतम मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 84 पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 35, 38 व 41 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर आवागमन हेतु वाद विवाद होने पर एक राजीनामा लिखवाया था जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 36 में से होकर प्रार्थीगण व उसके परिवारजन को 20 फिट चौडा व 136 फिट लम्बा रास्ता दिलवाया गया उकत रास्ता आज भी मोके पर विधमान है। किन्तु राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 36 प्रार्थी के खसरा नम्बर 84 से काफी दूर स्थित है। खसरा नम्बर 83 भी प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी नही होकर तेजू दत्तक पुत्र पूसा की खातेदारी का है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट में भी खसरा नमबर 36 में रास्ता होने का अंकन नही है। खसरा नम्बर 36 राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी की खातेदारी में है जिसमें कोई रास्ता राजस्व अभिलेख में अंकित नही है। प्रकरण में अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना सिद्व नही होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त मार्ग कृषि कार्य के लिये चाह है अतः 30 फिट के स्थान पर मौका रिपोर्ट अनुसार 4 मीटर मार्ग दिया जाना न्यायोचित होगा। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य अंकित नही है। प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 41 में से 72 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा ( 288 वर्ग मीटर ), खसरा नम्बर 35 में से 25 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा ( 100 वर्ग मीटर ) व खसरा नम्बर 38 में से 16 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा ( 64 वर्ग मीटर ) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 8 को 10322/ अक्षरे दस हजार तीन सौ बाईस रूपये व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को 5878/ अक्षरे पांच हजार आठ सौ अठहतर रूपये भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी**
**नसीराबाद**

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:17:10 IST
Reason: SelfAttested